परिवहन विभाग

चरैवेति चरैवेति

MOVE ON

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान

जीवन रक्षक प्रणाली

एवं

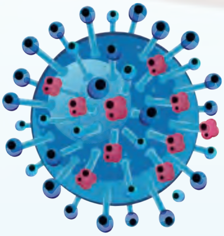

कोविड-19

के संबंध में जानकारी

राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान

अच्छा मददगार

(GOOD SAMARITAN)

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में घबरायें नहीं

मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल द्वारा कोई पूछताछ नहीं जायेगी

अब सरकार है आपके साथ

सड़क दुर्घटना में घायल की तुरन्त अस्पताल पहुंचाने में मदद करें

मदद करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी

मेडिकल खर्च के लिए कोई मांग नहीं

यदि मददगार चाहे तो एक ही बार पुलिस पूछताछ

व्यक्तिगत जानकारी देना आवश्यक नहीं

अस्पताल में रुकना आवश्यक नहीं

मददगार की सुविधानुसार जांच कार्यवाही

प्राथमिक सहायता

प्राथमिक सहायता क्या है ?

दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य दुर्घटना की वजह से लगी चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना तथा घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है।

दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा (Scene Safety)

- यदि सड़क दुर्घटना घटित हुई हो तो सर्वप्रथम घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं जिससे घायल व उनकी मदद करने वाले व्यक्ति सुरक्षित रहें।
- 3 अथवा 4 लोग मिल कर बेहद सावधानी के साथ घायल को उठाएं।
- रीढ़ अथवा गर्दन में चोट लगने पर घायल को बेहद नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में उसे उठाते समय रीढ़ व गर्दन बिल्कुल सीधी रखें।
- व्यक्ति को उठाने के लिए किसी हार्ड बोर्ड या तखत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
- घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ जमा न होने दें व ताज़ी हवा मिलने दें।

घायल व्यक्ति को उठाने का सही तरीका

घायल व्यक्ति पर सिर से पाँव तक सरसरी निगाह डालें और देखें कि वह

- चेतन अवस्था में है या बेहोश है?
- श्वास चल रही है या नहीं?
- दिल की धड़कन चालू है या नहीं?
- कहीं अत्यधिक खून तो नहीं बह रहा है?
- किसी के नीचे दबा हुआ या फँसा हुआ है?
- बुलाऐं: एम्बुलेंस 108, पुलिस 100 और यदि दुर्घटना नेशनल हाईवे पर हुई है तो नेशनल हाईवे हैल्प लाईन नम्बर 1033 पर भी सूचित किया जा सकता है।
- घायल के घर वालों को कॉल कर दुर्घटना की पूरी जानकारी दें।

एम्बुलेंस को कॉल करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

- घबराहट व जल्दबाजी में गलत नम्बर डायल करने का अंदेशा रहता है। ऑपरेटर द्वारा फोन उठाए जाने पर डायल किया गया नम्बर सुनिश्चित करें उदाहरण के तौर पर पूछें कि "क्या आप 108 से बोल रहे हैं?"
- ऑपरेटर को दुर्घटना स्थल का पूरा पता बताएं जिससे एम्बुलेंस को पहुँचने में वक्त की बर्बादी न हो व समय रहते सहायता उलब्ध कराई जा सके।
- घायलों की सही संख्या बताएं जिससे सभी की समय रहते मदद की जा सके।

बेहोश व्यक्ति की संभाल हेतु निर्देश

- यदि व्यक्ति बेहोश है और उसकी साँस चल रही है तो उसके दोनो पैरों को उठा कर ऊँचा करें इससे पैरों का शुद्ध खून मस्तिष्क की ओर जाएगा।
- व्यक्ति को चित्र में दर्शाए गए क्रम के अनुसार बायीं करवट दे कर रिकवरी पोज़िशन में लेटाएँ। इससे छाती व पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा व खून, थूक स्वतः ही बाहर निकल जाएगा साथ ही जुबान ऊपर के तालु पर नहीं अटकेगी व मुँह में रूकावट पैदा होने की संभावना कम हो जाएगी।
- व्यक्ति के मुँह में उंगली डाल कर रूकावट पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश न करें इससे घायल को नुकसान पहुँच सकता है।

- जितना जल्दी हो सके घायल को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाएं।
- घायल की जान बचाने के लिए दुर्घटना के बाद का पहला घण्टा (Golden Hour) बहुत महत्वपूर्ण है।
- दिल की धड़कन व श्वास रूकने पर बिना समय नष्ट किए सी. पी. आर. की प्रक्रिया (दिल व फेफड़ों को पुनः जीवित करना) प्रारम्भ करें।

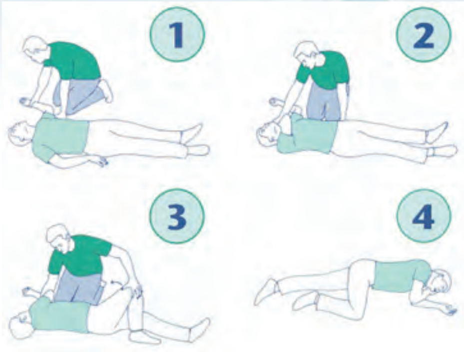

रिकवरी पोजीशन

सी.पी.आर. (CPR) की प्रक्रिया

- सी. पी. आर. का अर्थ है:
  - सी – यानि कार्डियो अर्थात दिल
  - पी – यानि पल्मोनरी अर्थात फेफड़े
  - आर – यानि रीससिटेशन (पुनः जीवित करना)
- सी. पी. आर. प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं
  - **C: Circulation** अर्थात दिल पर दबाव बनाना
  - **A: Airway** अर्थात श्वास नली को खुला रखना
  - **B: Breathing** अर्थात मुँह लगा कर कृत्रिम श्वास देना
- घायल को पीठ के बल समतल ज़मीन पर सीधा लेटाएं। अब घुटनों के बल बैठ कर अपने दोनो हाथों की हथेलियों को (दर्शाए गए चित्र के अनुसार) एक के ऊपर एक रख लें। बिना कोहनी मोड़े स्टर्नम हड्डी के ठीक बीचों बीच हथेलियों को रखें और 30 बार दिल पर दबाव बनाएं। दबाव बनाने की गति इतनी हो कि एक मिनट में लगभग 100 से 120 बार दबे। दबाव बनाते समय यह ध्यान रखें कि छाती कम से कम 2 से 2.5 इन्च दबे व फिर फूले।

- 30 बार दबाव देने के तुरन्त बाद घायल के मुँह पर साफ कपड़ा रखें व नाक बन्द कर 2 बार मुँह से मुँह लगा कर साँस दें।
- यह प्रक्रिया घायल की नब्ज चलने अथवा चिकित्सकीय सहायता के पहुँचने तक जारी रखें।
- कम से कम दो व्यक्ति मिल कर सी. पी. आर. करें। एक व्यक्ति दिल पर दबाव दे एवं दूसरा व्यक्ति कृत्रिम श्वास दे जिससे समय व्यर्थ न हो एवं साथ ही थकान महसूस न हो। कुछ अन्तराल पर कार्य आपस में बदल लें।
- सिर्फ दिल पर दबाव डालने से भी जान बचाई जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करें कि सी. पी. आर. केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दिया जाए।

बच्चों में सी. पी. आर. देने की प्रक्रिया

- नवजात शिशु को हाथ की दो अंगुलियों व बच्चों को एक हाथ की हथेली से सी. पी. आर. दिया जाना चाहिए।
- कृत्रिम श्वास देने के लिए छोटे बच्चों के मुँह पर अपना मुँह इस प्रकार रखें कि बच्चे की नाक एवं मुँह दोनो ढक जाएं तथा श्वास देते समय हवा बाहर न निकले।

खून बहने पर प्राथमिक सहायता (Bleeding)

- हाथ या पैर से रक्त स्राव होने पर साफ कपड़े से कस कर पट्टी बाँधे।
- सिर अथवा छाती से खून बहने की स्थिति में साफ कपड़े से दबाव बना कर खून का बहाव रोकें।
- घायल को बिना समय गवाएँ जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुँचाएं।

हाथ व पैर की हड्डी टूटने पर प्राथमिक सहायता (Fracture)

- हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर अंग को स्थिर रखने के लिए लकड़ी, खपच्ची, गत्ता या अख़बार को स्पिलिंट (splint) बना कर बाँधें।

श्वांस नली में अवरोध (Choking)

- व्यक्ति को बार बार खाँसने के लिए कहें।
- यदि व्यक्ति खाँसने में असमर्थ हो तो उसके पीछे खड़े हो कर कंधों के बीच पीठ पर हथेली से चार पाँच बार मारें।
- बच्चों के मामले में उल्टा करके पीठ पर बार बार थपथपाएं।

- व्यस्कों के मामले में व्यक्ति को पीछे से पकड़े और छाती की हड्डी के निचले स्थान पर दोनो मुट्ठी बन्द कर अंदर और ऊपर की ओर 4 या 5 बार दबाव डालें।
- इस प्रक्रिया को Heimlich Manoeuvre कहा जाता है।
- पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएं।

बिजली का करंट लगने पर

- संभव हो तो मेन लाईन बंद कर दें।
- अपना बचाव करते हुए सूखी लकड़ी, कपड़ा या कंबल द्वारा करंट के स्रोत को दूर हटा दें।
- यदि करंट लगने से शरीर को ज्यादा नुकसान पहुँचा है तो तुरन्त अस्पताल ले जाएं।
- आवश्यकता पड़ने पर सी. पी. आर. की प्रक्रिया अपनाएं।

जलने पर सहायता (Burn)

- व्यक्ति को घटना स्थल से दूर ले जा कर जले हुए हिस्से पर जलन बंद होने तक ठंडा पानी डालें।
- शरीर पर जूते, घड़ी, आभूषण या कपड़ों का दबाव बढ़ रहा हो तो उतार दें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएं।

पानी में डूबने पर (Drowning)

- पानी में डूबने पर व्यक्ति को सहारा दे कर गर्दन पीछे झुकाते हुए बाहर निकालें।
- समतल ज़मीन पर उल्टा लेटा कर पेट पर दबाव डालें। दबाव व ग्रेविटी से पानी स्वतः ही बाहर निकल जाएगा।

जानवर के काटने पर जैसे कुत्ता/बंदर आदि (Animal Bite)

- घाव को साबुन व पानी से 10 से 15 मिनट तक धोएं।
- घाव को खुला रखें।
- मिर्च या चूना नहीं लगाएं।
- घाव पर स्प्रिट, बिटाडीन अथवा प्रोविडोन लगाएं।
- टिटनेस टॉक्साईड का इंजेक्शन लगवाएं।
- एंटी रेबीज़ वेक्सिन व सीरम के लिए डॉक्टर की सलाह लें।

साँप के काटने पर (Snake Bite)

- मरीज को दिलासा दें।
- 70 प्रतिशत सर्प जहरीली प्रजाति के नहीं होते।
- जहरीले साँपों के काटे हुए में भी मात्र 50 प्रतिशत मामलों में वास्तव में ज़हर फैलता है।

- फ्रैक्चर के उपचार की भांति हाथ/पैर को स्थिर करें।
- पट्टी या कपड़े का प्रयोग ऐसे करें कि रक्त प्रवाह बाधित न हो।
- दबाव देने के लिए सूतली या रस्सी से न कसें।
- जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएं।
- चिकित्सक को काटने वाले सर्प और उन सभी शारीरिक लक्षणों के बारे में बताएं जो रास्ते में उभरे हों।

शरीर में ठोस वस्तु धँसने पर

व्यक्ति के शरीर में कोई ठोस वस्तु जैसे चाकू, औज़ार, सरिया, लकड़ी अथवा सड़क दुर्घटना के कारण धातु या काँच आदि धँसने पर उसे स्थिर रखें। बाहरी वस्तु को शरीर से निकालने की कोशिश न करें ऐसा करने से घायल को अधिक नुकसान पहुँच सकता है एवं व्यक्ति को गंभीर रक्त स्राव हो सकता है। अन्दर धँसी वस्तु यदि हिल रही हो तो घाव के आस पास पट्टी बाँध कर उसे स्थिर रखने का प्रयत्न करें। घायल को तुरन्त अस्पताल पहुँचाए।

ज़हरीले पदार्थ का सेवन (Poisoning)

- 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक घोल कर पिलाएं।
- उल्टी करवाने की कोशिश करें।
- एसिड (अम्ल), डीज़ल, पैट्रोल पिये होने की स्थिति में उल्टी न कराएं।
- घटना स्थल से बरामद दवा, शीशी या ज़हरीले पदार्थ से सम्बंधित जो वस्तु मिले उसे संभाल लें व चिकित्सक को इसके बारे में जानकारी दें।

- जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाएं।
- देशी परामर्श: रोटी या ब्रेड को जला कर पानी के साथ खाने को दें।

छात्र परिवहन हेतु सुरक्षित व्यवहार

छात्र/छात्राओं की भूमिका व दायित्व

स्कूल बस से आने जाने में

- बस के रूकने का पूरी तरह इंतजार करें एवं चढ़ने के लिए भागे नहीं।
- बस में यात्रा करते समय चालक से बात न करें या चालक का ध्यान भटकाने वाली किसी प्रकार की शरारत न करें।
- बस खराब होने पर चालक/परिचालक के निर्देशों का पालन करें।
- बस की खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें।
- चालक के लापरवाही से बस चलाने पर स्कूल प्रशासन एवं अपने माता–पिता को सूचित करें।

साईकिल से स्कूल आने जाने में

- साईकिल पर एक ही व्यक्ति सवार हो। सड़क पर झुंड में चलने बजाय एक के पीछे एक लाईन में चलें।
- साईकिल के आगे–पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। सम्भव हो तो हल्के अथवा चमकने वाले रंग की साईकिल खरीदें (सफेद, पीली, नारंगी, हल्की हरी इत्यादि)।
- साईकिल चलाते समय साईकिल हेलमेट का प्रयोग करें तथा हेडफोन लगाकर साइकिल न चलायें।
- मुड़ते समय सावधानी रखें, मुड़ने से पहले ट्रेफिक का आंकलन करें व उचित दिशा में जाने का इशारा दें।

दोपहिया वाहन से स्कूल आने जाने में

- बिना लाइसेंस एवं निर्धारित (18 वर्ष) से कम उम्र में वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
- दोपहिया वाहन पर आगे व पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
- हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले आई.एस.आई. मार्का वाले हेलमेट का उपयोग करें एवं चिन स्ट्रेप बांधना न भूलें।
- चालक लाईसेंस एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा इंश्योरेंस सदैव अपने पास रखें।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हेड फोन का इस्तेमाल नहीं करें।
- वाहन निर्धारित गति पर ही चलायें तथा यातायात संकेतों का सदैव पालन करें।

पैदल स्कूल आने जाने में

- जहाँ सड़क पर फुटपाथ हो वहाँ सड़क के बायीं ओर अन्यथा सड़क के दायीं ओर (वाहनों के विपरीत दिशा की ओर) चलना चाहिए।
- सड़क पार करने के लिए सबसे पहले सुरक्षित स्थान का चुनाव करें।
- शहरों में सड़क पार करने के लिए सुरक्षित साधन जैसे – जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे अथवा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें।
- सड़क पार करते समय पहले दायें, फिर बाएं ओर फिर दायें देखकर तय करें कि कोई वाहन नहीं आ रहा है।

- अन्धे मोड़ तथा पार्क किये गये वाहनों के बीच से निकलकर सड़क पार नहीं करें।
- सड़क पार करने के लिए तिरछी दिशा में न चलें।

सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो/वेन, मिनी बस से स्कूल आने जाने में

- सार्वजनिक परिवहन से स्कूल आने जाने वाले मार्ग के बारे में अभिभावकों को जानकारी देवें।
- अत्यधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा न करें।
- भार वाहनों में यात्रा करना बेहद खतरनाक है तथा यह कानूनी अपराध है।
- सार्वजनिक परिवहन का चालक यदि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाये तो उसे टोकें तथा इसके बारे में स्कूल प्रशासन एवं अभिभावकों को सूचित करें।
- सुरक्षित एवं निर्धारित स्टॉप से ही वाहन में चढ़ें व उतरें।
- चलते वाहन में चढ़ने व उतरने का प्रयास न करें।

अभिभावकों की भूमिका व दायित्व

- बच्चों को सुरक्षित स्थान से ही चढ़ाएं व उतारें।
- बच्चों को लाईन लगाकर बस में चढ़ाना सिखाएं तथा उन्हें बस के आस–पास खतरनाक स्थानों (Danger Zone) के बारे में बताएं।
- बच्चों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करना सिखाएं ।
- बच्चों को बताएं कि बस के लेट हो जाने या छूट जाने पर क्या करें।
- छोटे बच्चों को खुद ही बस में चढ़ाएं व उतारें।
- क्षमता से अधिक परिवहन करने वाले वाहनों में बच्चों को स्कूल न भेजें।

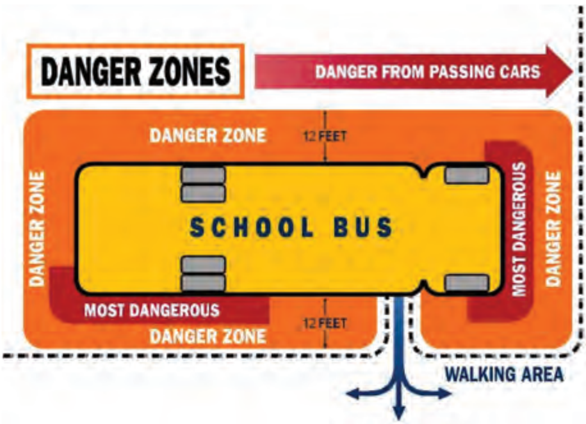

रोड साईनेज / चिन्ह

रोड साईनेज / चिन्ह

ड्राईविंग प्रशिक्षण के लिए सड़क पर उतरने से पहले सड़क चिन्हों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए।

1. आदेशात्मक सड़क चिन्ह

यह चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते है। इनमें से कुछ नीले रंग के होते है। इन चिन्हों के उल्लघंन पर जुर्मानें/दण्ड का भुगतान करना पड़ता है तथा इनके उल्लघंन से बड़ी दुर्घटनाऐं हो सकती है।

2. सचेतक सड़क चिन्ह

यह चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते है। यह चिन्ह ड्राईवर को आगे की सड़क पर खतरों/परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते है।

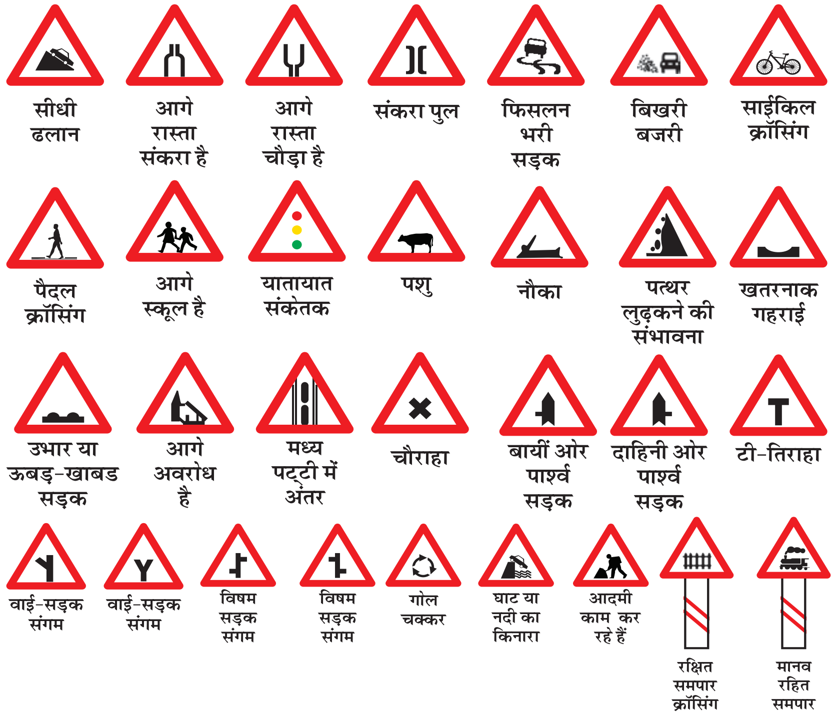

सीधी ढलान | आगे रास्ता संकरा है | आगे रास्ता चौड़ा है | संकरा पुल | फिसलन भरी सड़क | बिखरी बजरी | साईकिल क्रॉसिंग

पैदल क्रॉसिंग | आगे स्कूल है | यातायात संकेतक | पशु | नौका | पत्थर लुढ़कने की संभावना | खतरनाक गहराई

उभार या ऊबड़-खाबड सड़क | आगे अवरोध है | मध्य पट्टी में अंतर | चौराहा | बायीं ओर पार्श्व सड़क | दाहिनी ओर पार्श्व सड़क | टी-तिराहा

वाई-सड़क संगम | वाई-सड़क संगम | विषम सड़क संगम | विषम सड़क संगम | गोल चक्कर | घाट या नदी का किनारा | आदमी काम कर रहे हैं | रक्षित समपार क्रॉसिंग | मानव रहित समपार

3. सूचनात्मक सड़क चिन्ह

आम तौर पर यह चिन्ह ड्राईवर के सफर में मददगार होते है। सामान्यतः यह चिन्ह नीले रंग के होते हैं।

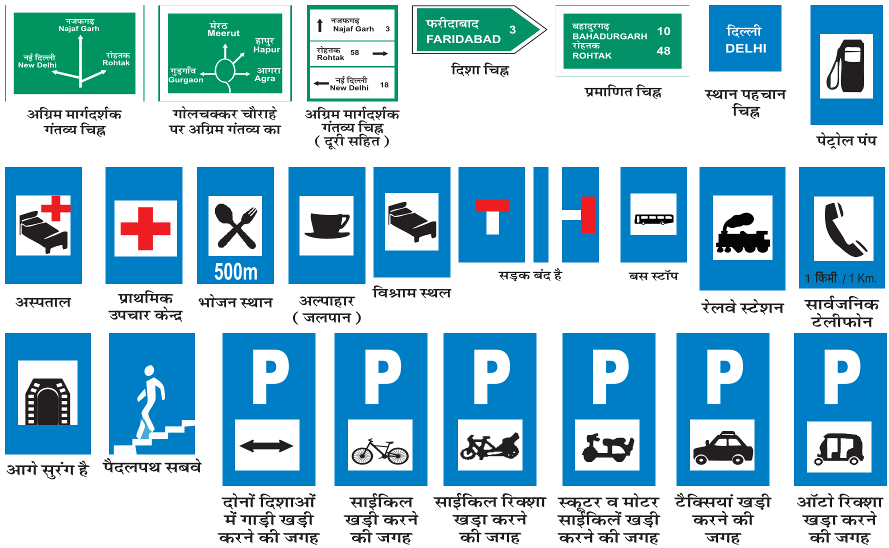

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिह्न | गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का | अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिह्न (दूरी सहित) | दिशा चिह्न | प्रमाणित चिह्न | स्थान पहचान चिह्न | पेट्रोल पंप

अस्पताल | प्राथमिक उपचार केन्द्र | भोजन स्थान | अल्पाहार (जलपान) | विश्राम स्थल | सड़क बंद है | बस स्टॉप | रेलवे स्टेशन | सार्वजनिक टेलीफोन

आगे सुरंग है | पैदलपथ सबवे | दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह | साईकिल खड़ी करने की जगह | साईकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह | स्कूटर व मोटर साईकिलें खड़ी करने की जगह | टैक्सियां खड़ी करने की जगह | ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह

ट्रैफिक नियंत्रण के साधन :

सड़कों पर अंकित चिन्ह

सड़क पर कई तरह के चिन्ह बने होते हैं जैसे सफेद रेखा, जेब्रा लाइन, स्टॉप लाइन एवं अन्य। ये भी ट्रैफिक के संचालन में मदद करते है।

कटी हुई सफेद या पीली लाइन (किसी लगातार बनी लाइन के साथ)–

आपको लाइन के बायीं ओर ही रहना होगा। सड़क के जिस ओर टूटी रेखा होती है उस ओर से ही ओवरटेक कर सकते है। अगर सुरक्षित हो तभी ओवरटेकिंग करे। लेकिन ओवरटेक करने के बाद वापस अपनी लेन में आना होगा।

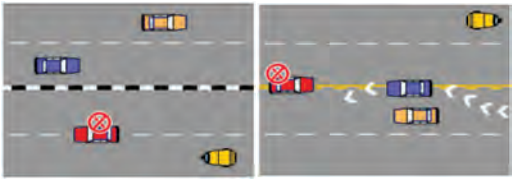

सीधी बिना कटी हुई लगातार सफेद या पीली लाइन–

यह चेतावनी देती है कि ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर सड़क में प्रवेश करना या निकलना हो तो इन लाइनों का प्रयोग किया जा सकता है।

डबल लगातार बनी हुई लाइन–

इन लाइनों को क्रॉस करना मना होता है एवं बाएं ओर ही वाहन चलाना चाहिए। किसी व्यवधान होने की स्थिति में ही आप इसे क्रॉस कर सकते है।

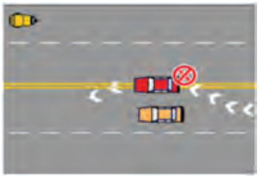

टूटी हुई सफेद लेन लाइन–

सुरक्षित होने पर ही लेन बदल सकते है लेकिन वापस अपनी लेन में आना होगा एवं लेन बदलने से पहले इंडीकेटर देना होगा।

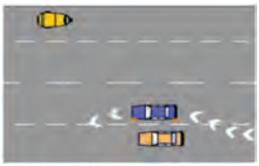

लगातार बनी लेन लाइन–

इंटरसेक्शन के पास टूटी हुई लेन लाइन सीधी लाइन मे बदल जाती है जहां ओवरटेक करना मना होता है। किसी भी इंटरसेक्शन पर ओवरटेक करना, यू टर्न लेना मना होता है जिससे ट्रैफिक सही तरह से चलता रहे व दुर्घटना की संभावना कम हो।

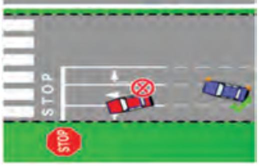

सीधी बिना कटी हुई लगातार पीली लाइन–

यह डिवाइडर की तरह ही हैं। इसे ओवरटेक नहीं किया जा सकता।

किनारे पर बनी हुई लाइन–

सड़क के किनारे बनी हुई लाइनें वाहन चलाने की व वाहन पार्क करने की सीमा बताती है। पीली सीधी बनी लाइन के पास वाहन खड़ा करना या पार्क करना मना होता है।

ट्रैफिक लाइट्स–

ये सामान्यतः चौराहों पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की जाती हैं। सभी वाहनों को इन ट्रैफिक लाइटों के अनुरूप चलना चाहिए। आप जिस ओर जा रहे हैं उस दिशा में अपने सामने वाली लाइट पर ही ध्यान दें।

लाल लाइट का अर्थ है अपने वाहन को स्टॉप लाइन के पहले रोके एवं पदयात्रियों को सुरक्षित जाने दे।

पीली लाइट का अर्थ है कि सावधान रहे। अगर अपनी ओर की स्टॉप लाइन आपने पीली लाइट होने से पहले पार कर ली है तभी दूसरी ओर रास्ता पार करे अन्यथा स्टॉप लाइन पर रुके रहे।

हरी लाइट का अर्थ है कि सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। अगर रास्ते में कोई पदयात्री हो तो पहले उसे जाने दे।

जलती–बुझती लाइट–

- ऐसे स्थान जहां पर संपूर्ण यातायात सिग्नलों की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती वहां इन्हें लगाया जाता है।
- ये प्रायः पीली और लाल बत्ती के रूप में होते हैं जो खतरे की संभावना के सूचक होते हैं।
- इनका उद्देश्य वाहन चालकों को संभावित खतरे से सचेत करना होता है।
- ये सिग्नल प्रायः मीडियन ओर सर्विस रोड ओपनिंग तथा उस स्थान पर लगाए जाते हैं जहां छोटी सड़क मुख्य बड़ी सड़क से मिलती है।
- चौराहों पर रात में जब सभी यातायात सिग्नलों को बंद कर दिया जाता है तब सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए उन स्थानों पर ये लाइटें काम करती है।

ये सिग्नल आपको रास्ते के आगे आने वाले खतरों से सचेत करते है। वाहन को धीरे करें और पदयात्रियों एवं अन्य यातायात का ध्यान रखते हुए सावधानी से आगे बढ़े। ये आमतौर पर वहां लगाए जाते हैं जहां मुख्य सड़क छोटी सड़क से मिलती है।

इसका अर्थ है आपको रूकना चाहिए और सभी तरफ से आ रहे यातायात को देखने के बाद ही सावधानी से आगे बढे। ये प्रायः लेवल क्रॉसिंग, पुल, दमकल केन्द्र, छोटी सड़क आदि के आसपास लगाए जाते हैं।

यदि पदयात्री अपने सामने लाल रंग में मानव आकृति, जो खड़ी होने की स्थिति में हो या लाल लाइट से Do Not Walk लिखा हो तो उस दिशा में नहीं बढ़ें।

पदयात्री तभी आगे बढ़े जब वे सामने हरे रंग में मानव की आङ्कृति जो आगे बढ़ने को तैयार दिशा मे होने की में हो या हरी लाइट से walk लिखा हो।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में घबरायें नहीं

- **मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अन्तर्गत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000/– रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।**
- **सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है।**
- **अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को योजना का लाभ देने के लिए स्वेच्छा से अपना नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र एवं बैंक खाता संख्या बताना होगा।**
- **यदि घायल व्यक्ति सामान्य घायल व्यक्ति की श्रेणी में आता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने भले मददगार को केवल प्रशस्ति प्रदान किया जायेगा।**

सड़क सुरक्षा के लिए 10 सुनहरे नियम

1. रूकें या गति धीमी करें

अनियंत्रित ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। यह उनका हक है।

---

2. सुरक्षित बांधें

ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहें। सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटना के दौरान मौत की सम्भावना को काफी हद तक घटाता है।

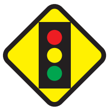

3. यातायात नियमों और चिन्हों का पालन करें

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए

---

4. गति सीमा का पालन करें

आपकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए आवासीय व व्यावसायिक जगहों पर गतिसीमा 30 कि.मी. प्रति घंटा है
वहाँ वाहन नियत गति पर ही चलायें

---

5. वाहन को दुरूस्त रखें

ताकि आपका वाहन सड़क पर खराब न हो और उसे चलाने में आपको परेशानी का सामना न करा पड़े जो सड़क पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।

---

6. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें

ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें

---

7. हेलमेट पहनें

दुपहिया वाहन पर अपने सर की सलामती के लिए उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट सर की भारी चोटों की सम्भावना को 70% तक घटाता है।

---

8. वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें

आपकी और अन्य सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

---

9. नम्र रहें

सड़क का सब के साथ सहभाग करें और दूसरों का ध्यान रखें।
सड़क पर क्रोध/रोष न करें।

---

10. शराब पीकर वाहन न चलायें

जिम्मेदार बनें ... शराब पीकर वाहन न चलायें

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा

मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि
मैं सड़क का उपयोग करते समय
समस्त यातायात नियमों का
पालन करूँगा/करूँगी।
मैं यह हर संभव यह प्रयास करूँगा/करूँगी
कि मेरी वजह से कोई दुर्घटना घटित न हो।
मैं प्रत्येक व्यक्ति को सड़क नियमों
का पालन करने के लिए प्रेरित करूँगा/करूँगी
तथा एक कर्त्तव्यनिष्ठ सड़क उपयोगकर्ता
के रूप में सड़क दुर्घटनाओं रहित राष्ट्र निर्माण
के लिए सदैव तत्पर रहूँगा/रहूँगी।

।। जय हिन्द ।।